संख्या 606/कार्मिक–2/2003

प्रेषक

सुरेन्द्र सिंह रावत
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन

कार्मिक विभाग

देहरादून: दिनांक:22मई ,2003

विषयः–पर्वतीय उपसंवर्ग से भिन्न कार्मिकों को उत्तरांचल हेतु विकल्प दिये जाने की स्थिति में उनकी ज्येष्ठता के संबंध में जारी शासनादेश को मा. उच्च न्यायालय द्वारा विखण्डित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सरकार ने अर्धशासकीय पत्रांक संख्या 28/1/2000 एस.आर.(एस) दिनांक 13.9.2000 से नये गठन होने वाले राज्यों के लिए पदों एवं कार्मिकों के आवंटन के लिए मार्गदर्शक बिन्दु जारी किये थे। ऐसे पद जो उत्तरांचल राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत पदीय दायित्वों के निर्वहन के लिए सृजित हैं वे पद उत्तरांचल राज्य को आबंटित किये गये। इसी प्रकार ऐसे कार्मिक जो उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में ही स्थानान्तरित किये जा सकते है वें उत्तरांचल राज्य को अन्तिम रूप से आबंटित होंगे। उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत जनपदों, मण्डलों में ही स्थानान्तरित होने वाले कार्मिक तथा पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के पर्वतीय उपसंवर्ग के कार्मिक उपरोक्त मार्गदर्शक बिन्दुओं के अनुसार उत्तरांचल राज्य को अन्तिम रूप से आबंटित होंगे। इन मार्गदर्शक बिन्दुओं में उन कार्मिकों को जो पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जा सकते हैं, से विकल्प प्राप्त करने की व्यवस्था रखी गयी यह भी स्पष्ट किया गया कि इन कार्मिकों को केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक हित व आवश्यकता को देखते हुए नवगठित दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य को अन्तिम रूप से आंबटित कर सकती है।

2. केन्द्रीय सरकार ने पदों एवं कार्मिकों के आंबटन के मार्गदर्शक बिन्दु दिनांक 13.9.2000 के अनुरूप आदेश संख्या 27/9/2001–एस.आर.(एस) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग दिनांक 11.9.2001 से उत्तरांचल राज्य के जनपदों, मण्डलों तथा पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानान्तरण किये जा सकने वाले कार्मिकों को अन्तिम रूप से आबंटित कर दिया। कार्मिकों का उत्तरांचल राज्य को आवंटन की कार्यवाही गतिमान है। दिनांक 10.4.2003 को राज्य परामर्शीय समिति द्वारा बैठक में लिये गये निर्णय नीचे उद्धरित किये जा रहे हैं।

(i) If recruitment rules regarding any cadre, or its part, in any department were clearly laid prohibiting any interchange of Personnel amongst the state cadre & Hill sub cadre, then there is no

C:\Kare\GO-Final-Allocation-hill-Subcadre.doc

need to divide such cadre/part, now, since division was already there.

(ii) If the division mentioned above, has not been applied to any particular post/ category of post/ part or whole cadre, the same will have to be divided amongst two states, following already laid principles.

(iii) Even if the division referred in (i) above, was existent some posts/ personnel still will have to go to Uttaranchal state on account of Directorate posts & belonging to Haridwar District Area. For Haridwar Area number of posts sanctioned in various departments, on the date of creation of Uttaranchal state must be clear whereas for division of Directorate posts, both states must arrive at some consensus.

(iv) With regard to posts of the state cadre, meant exclusively for Haridwar District Area, it was agreed that the two governments must try to reach consensus on allocation of posts/personnel. If number of such posts is large or post were specifically meant for Haridwar, the posts and personnel will have to go to Uttaranchal.

उपरोक्त के अनुसार पर्वतीय उपसवर्ग वाले पदों के विरुद्ध सामान्य संवर्ग से कार्मिक आवंटित नहीं होंगे।

3. उत्तरांचल शासन द्वारा शासनादेश संख्या 1370/कार्मिक–2/2001 दिनांक 30.8. 2001 द्वारा व्यवस्था की गयी थी कि पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के पर्वतीय उपसंवर्ग से भिन्न कार्मिकों को उत्तरांचल राज्य हेतु विकल्प दिये जाने की स्थिति में उनकी ज्येष्ठता का निर्धारण उस संवर्ग में उनके द्वारा विकल्प देते समय पोषित पद पर कनिष्ठतम कार्मिक के रूप में किया जायेगा। इस शासनादेश को चुनौती देते हुए दायर याचिकाओं के संदर्भ में मा. उच्च न्यायालय, उत्तरांचल द्वारा रिट याचिका संख्या 823 सन् 2001 (एस./बी.), 899 सन् 2001 (एस./बी.), 843 सन् 2001 (एस./बी.), 69 सन् 2002 (एस./बी.), 844 सन् 2001 (एस./बी.), 7033 सन् 2001 (एस./बी.), 875 सन् 2001 (एस./बी.), 849 सन् 2001 (एस./बी.), 835 सन् 2001 (एस./बी.), 840 सन् 2001 (एस./बी.) 821 सन् 2001 (एस./बी.), 939 सन् 2001 (एस./बी.), 882 सन् 2001 (एस./बी.), एवं 832 सन् 2001 (एस./बी.) में सामूहिक रूप से दिनांक 10.4.2003 को निर्णय देते हुए उपरोक्त शासनादेश को विखण्डित कर दिया है। उपरोक्त शासनादेश को मा. उच्च न्यायालय द्वारा विखण्डित कर दिये जाने के कारण उत्तरांचल राज्य की ऐसी सेवाओं और संवर्गों, जिनमें राज्य गठन से पूर्व पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा पर्वतीय उपसंवर्ग गठित किया गया था, के पदों पर राज्य गठन के पूर्व उत्तरांचल का विकल्प देने के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा अन्तिम रूप से आवंटित कार्मिकों के संवर्गों में ज्येष्ठता उत्तरांचल का विकल्प देते समय पोषित पद पर कार्यरत पर्वतीय उपसंवर्ग के कार्मिकों में कनिष्ठतम कार्मिक के रूप में नहीं की जायेगी।

4. मा. उच्च न्यायालय, उत्तरांचल ने अपने आदेश दिनांक 10.4.2003 में स्पष्ट किया है कि उत्तरांचल राज्य के लिए अन्तिम आवंटन न होने के कारण दोनों राज्यों में संबंधित संवर्गों के कार्मिक उन राज्यों में अनन्तिम रूप से आवंटित हैं। ऐसे संवर्गों में यदि तदर्थ

पदोन्नति की जावे तो 9.11.2000 से पूर्व की ज्येष्ठता के अनुसार कार्यवाही की जाये। मा. उच्च न्यायालय की उक्त व्यवस्था के समादर में जिन संवर्गों में उत्तरांचल राज्य के लिए कार्मिकों का अन्तिम आंवटन केन्द्रीय सरकार ने नहीं किया है उनमें तदर्थ पदोन्नति हेतु 9.11.2000 से पूर्व की ज्येष्ठता के अनुसार कार्यवाही की जाये।

5. उत्तरांचल शासन के कार्मिकों के संवर्गों में पदोन्नति के रिक्त पदों को भरते समय उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्या 606 (1) कार्मिक–2/2003, तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल/ कुमाऊं मण्डल

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।